

संरक्षा शाखा
सोलापुर मंडल



Safety Branch
Solapur Division

संरक्षा परिपत्र
Safety Circular
03/2018-19



विषय- विद्युत्तोकृत क्षेत्र में संरक्षा सावधानियां ।

sub:- Safety precaution in OHE Territory.

दिनांक Date 19.06.2018

संरक्षा परिपत्र संख्या : 03/2018-19**सभी संबंधित सोलापुर मंडल -****विषय :-** विद्युत्कृत क्षेत्र में संरक्षा सावधानियां ।

परिचालन

1. मीटर की दूरी के भीतर सीधे संपर्क में आने वाले खतरों के बारे में अपने 2 तारों के /जीवित कर्षण ओवर हेड .नियंत्रणाधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों को सचेत कर दें
2. पायदान और छतों पर तथा डिब्बों के बाहर लटककर सफर करने से होने वाले खतरों के बारे में यात्रियों को सचेत कर दें.
3. किसी सिगनल उपकरण या ब्लाक उपकरण के असामान्य रूप से कार्य की सूचना सेक्शन कंट्रोल को तुरंत दें ।
4. जब पावर ब्लाक दे रहें हो तब चेतावनी कालर का इस्तेमाल करें ।
- 5 . किसी निष्क्रिय या बिना बिजली के तार टर्नआउट में उठे हुए पेन्टोग्राफ के साथ किसी बिजली इंजन के प्रवेश की अनुमति न दें.
6. जिस सेक्शन में उपरी उपस्कर टूट गया हो या यातायात बाधित हो गया हो वहां यातायात की अनुमति नहीं दे जब तक उस अवरोधअतिजंघन हटा नहीं लिये जाते और कर्षण कर्मचारियों द्वारा क्लियरेंस जारी नहीं कर / .दिया जाता
7. जहाँ संरक्षात्मक स्क्रीन नहीं लगाया गया होउस , सिगनल पर कार्य करने के लिए किसी कर्मचारी को तब तक प्रतिनियुक्त न करें जबतक अधिकृत कर्षण कर्मचारी से काम करने के अनुमति नहीं मिल जाती .

सवारी माल डिब्बा

1. सवारी डिब्बों में बगल में पानी भरने की व्यवस्था का प्रयोग करें .
2. विद्युत्कृत ट्रेक पर सवारी डिब्बों या इंजन के छत पर न चढ़े जब तक कि ऊपरी शीर्ष कर्षण माल गाडी डिब्बो , रों को निष्क्रिय कर भूयोजित न कर दिया गया हो तथा अधिकृत कर्षण कर्मचारी से कार्य करने की कंडक्ट . न हुई होअनुमति प्राप्त
3. ऊपरी शीर्ष कर्षण तार की ओर पानी के हौस .पाईप के प्रवाह को नहीं करें -
4. न केर सेक्शऊपरी कर्षण उपस्कअधिकृत प्रतिनिधी कि उपस्थिती के बिना ऊपरी कर्षण तारों के नजदीक क्रेन को चालू न करें.

सिगनल व दूर संचार

1. सिगनल व दूर संचार सर्किटों में उच्च वोल्टेज से उत्पन्न उपपादन के खतरों से बचने के लिए संबंधित कर्मचारी स्वयं को तथा उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए रबर दस्ताने एवं कुचालक हैंडल वाले टूल्स का प्रयोग करें .
2. .शं न करें के टर्मिनल को नंगे हाथों से स्पवोल्ट 300
3. किसी भी परिस्थिति में कटे हुए ढीले तौर पर लटकते/हुए कर्षण तारों को स्पर्श न करें .
4. सिगनल और दूर न अथिंगनों आदि के ट्रेक बन्धसंचार प्रतिष्ठा-भूसंपर्क- को मत छेड़े .

लोको

1. डीजल इंजन की छत पर न चढ़े .
2. टूटेअधिकृत कर्षण कर्मचारी द्वारा . कर्षण ढांचो से होकर पार न करें या अन्यढीले लटकते ऊपरी कंडक्ट/ .अवरोंधो को हटायें जाने तक आगे न बढे

इंजिनियरिंग

1. समपार (लेवल क्रॉसिंग) पर तार के काटे जाने की स्थिती में गेटमैन तत्काल सभी तरह के सड़क यातायात को रोकने की व्यवस्था करेगा और इस बारे में सबसे नजदीकी स्टेशन मास्टर और रेल विद्युत्करण नियंत्रक को सूचित करेगा.
2. रेल पथ नवीकरण के अनुरक्षण के दौरान रेलपथ एवं निर्माण कार्य नियमावली के अध्याय XX के परिशिष्ट में निर्दिष्ट स्वीकृत डिजाइन के अनुरूप अस्थायी मेटलिक जम्पर लगाकर विद्युत्कृत ट्रेक की पटरियों की निरन्तरता को बनाए रखें .

3. आवश्यक सावधानी बरतते हुए टूटी हुई पटरी के दोनों छोरों को अस्थायी रूप से स्वीकृत डिजाइन के मेटालिक जंपरों से जोड़े जाए .
4. किसी भी परिस्थिति में गिरे हुए लटकते तार को /न छुए जब तक इसे कर्षण कर्मचारियों द्वारा निष्क्रिय और भू .संपर्कित कर लिया नहीं जाता -
5. विद्युतकरण ट्रेक पर किसी स्टील का मापने वाला फीता अथवा लंबे मेटालिक तारों .माल न करेंछड़ों का इस्ते/
6. चलने .बैठने या ऐसे किसी कार्य के लिए रेलपटरी का उपयोग न करें ,
7. सक्रिय ऊपरी कर्षण उपस्कर के सीढियों को ,खम्भों ,मीटर तक खतरा वाले क्षेत्र की परिधि में लंबे पाइपों 2 .सीधा कर न ले जाएं
8. ट्रेक के किनारे रेलों को उतारते समय लगातार से अधिक दूरी तक उसे इस तरह रखें कि वे एक दूसरे से .मी 300 .संपर्क न करें

कर्षण वितरण

1. ओ एच ई के किसी भी उर्जित हिस्से के 2 मीटर के अन्दर कार्य करने से पहले टी पी सी से 'परमिट टू वर्क' अवश्य लें।
2. जिस कर्मचारीने 'परमिट टू वर्क' 'पावर ब्लॉक(टिपीसी द्वारा लिया है, वही कर्मचारीने कार्य पूरा होने के बाद 'परमिट टू वर्क' 'पावर ब्लॉक(टिपीसी द्वारा रद्द करना चाहिए।
3. फील्ड स्टॉफ द्वारा मेसेज बुक में प्रायवेट नंबर एक्सेज करके टिपीसी द्वारा परमिट टू वर्क (पावर ब्लॉक) लेना चाहिए और परमिट टू वर्क रद्द करने के लिए वही प्रोसीजर करना चाहिए ।
4. एसई / जेई द्वारा डिस्चार्ज / अर्थिंग पोल एसेम्बली को माह में एक बार चैक करना चाहिए। केबल के उपरी क्लैम्प और अर्थिंग क्लैम्प के जोड़ की निरन्तरता की जाँच करनी चाहिए।
5. स्टॉफ एटीडी (बैलेंस वेट) के नीचे न बैठे, नहीं खड़े हो ।
6. कान्टेक्ट वायर पर पैर रखकर कार्य न करें जिसके फलस्वरूप स्विच क्लिप के बीच क्लिक् आ जाता है।
7. एक से ज्यादा व्यक्ति सीढी पर न चढ़ें।
8. सुरक्षा के लिए सेफ्टी बेल्ट एवं औद्योगिक हैल्मेट अवश्य पहनें।
9. टी पी सी से पावर ब्लॉक लेने के बाद ही टावर वैगन की छत पर चढ़ें।
10. पुरानी हो चुकी एक्सेटेशन सीढी का प्रयोग करने से बचें।
11. कार्य के समय ढीले कपड़े जैसे कुर्ता पायजामा, लुंगी,साफी ,चप्पल आदि न पहनें।
12. धात्विक रस्सियोंका प्रयोग न करें / केवल मनिला से बनी रस्सी का उपयोग करें।
13. टॉवर वैगन पर कार्य करते समय कार्यस्थल के दोनों तरफ डिस्चार्ज रॉड अवश्य लगायें।
14. कार्य के दौरान हमेशा रबर सोल के जूते पहनें ।
15. सीढी पर कार्य कर रहे व्यक्ति तक उपकरण या कोई सामान पहुँचाने हेतू रस्सी का उपयोग करें।
16. सीढी को कभी भी कॉन्टेक्ट वायर पर न गिरने दें और न ही उस पर टिकायें।
17. स्विच यार्ड में कार्य करते समय आपरेटर रबर के दस्ताने पहनें।
18. एक व्यक्ति द्वारा जमीन पर सीढी को अच्छी तरह से पकड़े रहना चाहिए, जब कि ऊपरी सिरे को सपोर्टिंग स्ट्रक्चर /रस्सी से बांध लेना चाहिए ।
19. जब किसी आइसोलेटर स्विचज में अर्थिंग हील लगी होती है, तो अस्थाई रूप से दूसरी अर्थ आइसोलेटर के दोनो तरफ लगाना चाहिए ।
20. गीला अथवा स्लिपरी पैर से सीढी के उपर चढ़ना मना है।
21. सामग्री पहुँचाने हेतू सीढी का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए।
22. कोई भी कर्मचारी कार्यस्थल का सीढी के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए।
23. ओ एच ई से 4 मीटर की दूरी तक कोई भी पेड नहीं होना चाहिए।
24. ओ एच ई का अनुरक्षण करते समय ब्रेकेट ट्यूब / इन्सुलेटर पर खड़े होकर कार्य न करें।
25. विध्युतीय रेक पर स्टील या धातु के तथा मेटल री इन्फोर्समेंट वाले माप टेपों का प्रयोग न करें।
26. डिस्चार्ज/अर्थिंग पोल असेम्बली के अर्थिंग क्लैम्प को पहले रेल/खम्बे पर कसें। तत्पश्चात टॉप क्लैम्प को आरटी / बीटी पर टेस्ट करें। अंत में टॉप क्लैम्प को कॉन्टेक्ट वायर पर लटकायें।
27. अर्थिंग निकालने के लिए, पहले डिस्चार्ज रॉड हुक को ओएचई से निकालें तदुपरांत अर्थ क्लैम्प को रेल या खम्बे से निकालें ।

(सुरेश कुमार एन टी)

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारीसोलापुर/